बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–पी0पी0एम0–117/2011– 4955 /कृ0, पटना, दिनांक 07-07- ,2011

प्रेषक,

डा० एन० विजयलक्ष्मी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का वर्ष, 2011–12 में कुल 777.52 करोड़ रूपये (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अंश– 711.68 करोड़ रूपये एवं राज्यांश–65.84 करोड़ रूपयें) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन गहन बागवानी विकास कार्यक्रम तथा शहरी क्षेत्रों में सब्जी विकास की विशेष उप योजना का कुल 36.897 करोड़ रू० की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं इसके अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंश से 6.00 करोड़ रू० तथा राज्यांश मद से 42.00 लाख रू० कुल 6.42 करोड़ रू० (छः करोड़ बेयालिस लाख रू०) व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या 4553 दिनांक 21.06.2011 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का वर्ष, 2011–12 में कुल 777.52 करोड़ रूपयें (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अंश– 711.68 करोड़ रूपये एवं राज्यांश–65.84 करोड़ रूपयें) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन गहन बागवानी विकास कार्यक्रम तथा शहरी क्षेत्रों में सब्जी विकास की विशेष उप योजना का कुल 36.897 करोड़ रू० की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं इसके अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंश से 6.00 करोड़ रू० तथा राज्यांश मद से 42.00 लाख रू० कुल 6.42 करोड़ रू० (छः करोड़ बेयालिस लाख रू०) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने हुए जिलों में सब्जी की खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन जिलों को पहले ही सघन बागवानी विकास के तहत सब्जी की खेती के लिए चुना गया है। भारत सरकार के द्वारा एक उपयोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है वहाँ सब्जी उत्पादन के लिए एक विशेष योजना स्वीकृत की गई है। यह विशेष उपयोजना भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का भाग है। विशेष उप योजना के अन्तर्गत कार्यमद पटना, नालंदा तथा वैशाली जिले के लिए स्वीकृत की गयी है। प्याज का भण्डारण, ग्रीन हॉउस, शेड नेट, पैकिंग तथा प्राथमिक परिसंस्करण ईकाई पर राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत की गयी है जो विभागीय संकल्प संख्या 4107 दिनांक 30.5.2011 द्वारा प्रचारित है। सब्जियों को संरक्षित तरीके से रखने तथा बिक्री करने के लिए सब्जी बेचने वाले को मोबाईल एसी ठेला शत–प्रतिशत अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा। समृद्धि/कौशल्य फाउंडेशन के द्वारा पटना, नालंदा, भोजपुर तथा आरा जिलों में किसानों के खेत में उत्पादन से लेकर शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता तक इन्टीग्रेटेंड भेल्यू चेन को विकसित करने में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। यह संस्था आई०आई०एम० अहमदाबाद में प्रशिक्षित उद्यमियों के द्वारा चलाया जा रहा है। संस्था बिहार जैविक उत्पाद के ब्रांडिग में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस संस्था की भागीदारी से बागवानी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में गुणात्मक परिवर्त्तन होगा। तदनुसार बागवानी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में इस संस्था की भागीदारी एवं तकनीकी/प्रबंधकीय परामर्श प्राप्त किया जायेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिहार हॉर्टीकल्चर डेवलपमेंट सोसायटी अपने बायलॉज के अधीन समृद्धि/कौशल्य फाउंडेशन के साथ एक मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एम.ओ.यु.) करेगी। पटना ज़िला में दीघा मालदह आम को विशेष रूप से विकसित किया जायेगा। बांका, जमुई तथा नवादा जिलों में फलदार/औषधीय वृक्षों जो कि विशेष कर शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि बेल, बेर, जामुन, कटहल, शरीफा, सहजन, आँवला, अर्जुन का सघन रूप से विकास किया जायेगा। इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला वन पदाधिकारी तथा परियोजना निदेशक, आत्मा सदस्य होंगे। यह समिति जिला में कार्यान्वयन एजेंसी जिसमें किसान, किसान संगठन, स्वयं सेवी संस्था, सहकारी संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायती राज संस्था आदि हो सकते हैं, का चयन करेंगी। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था जो कम से कम